प्रेस-विज्ञप्ति 16 मार्च, 2019

दिनांक 16 मार्च, 2019 को प्रातः 11:00 बजे सरपदमपत सिंघानिया सभागार में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, फेडेरशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (F.I.C.C.I.) एवं इंडियन कौंसिल ऑफ अर्बीट्रेशन (I.C.A.) के संयुक्त तत्वाधान में "Institutional Arbitration in India: the Way Forward" पर सत्र का आयोजन किया गया।

मर्चेंट्स चैम्बर के सचिव महेंद्र नाथ मोदी ने मुख्य-न्यायाधीश- श्री गोविन्द माथुर, मुख्य न्यायाधीश- अलाहाबाद हाई कोर्ट, न्यायाधीश- श्री पंकज मिथल, न्यायाधीश- अलाहाबाद हाई कोर्ट, न्यायाधीश- श्री शाहीबुल हसनैन, न्यायाधीश- अलाहाबाद हाई कोर्ट, एन.जी.खेतान, अध्यक्ष, ICA & Senior Partner, खेतान & कंपनी, कोलकाता, तथा अरुण चावला, इंडियन कौंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के सलाहकार एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित किया।

श्री बी.एम. गर्ग, अध्यक्ष- मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने स्वागत भाषण दिया।

मुख्य-न्यायाधीश- श्री गोविन्द माथुर, मुख्य न्यायाधीश- अलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने वक्तव्य में कानपुर में इंडियन कौंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन एवं मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश का आर्बिट्रेशन केंद्र खोलने के लिए दोनों संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों तथा "Institutional Arbitration in India: the Way Forward" पर आयोजित सत्र की सराहना की।

न्ययाधीश माथुर ने कहा की आर्बिट्रेशन मुख्यतः व्यवसायिक विवाद को हल करने के लिए प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन तुलनात्मक रूप से एड-हॉक आर्बिट्रेशन से बेहतर है क्योकि इसमें समय और लागत दोनों ही कम लगती है ।

श्री माथुर ने कहा कि वह भली-भाँति उच्च न्यायालय और जिला दोनों ही स्तर पर आर्बिट्रेशन के लम्बित केसेस को जानते है तथा हाई कोर्ट में हाल ही में अधिक जजों के जुड़ने से शीघ्र निपटान का वादा किया । उन्होंने पुनः कहा कि अलाहाबाद हाई कोर्ट, अर्बीट्रल अवार्ड में हस्तक्षेप नहीं करने का प्रयास करेगा तथा अवार्ड्स का सम्मान करने का प्रयास करेगा।

मंच का संचालन अरुण चावला, इंडियन कौंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के सलाहकार एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, ने किया।

सत्र में उपास्थित गणमान्य: बी.के. श्रिया, जे.पी. अग्रवाल, डॉ. आई.एम. रोहतगी, बी.के. लाहोटी, पदम् कुमार जैन, अनिल अग्रवाल, डॉ. जे.एन. गुप्ता, योगेश अग्रवाल, तहजीबुल हसन, रुफी वकी, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण, इंडियन कौंसिल ऑफ अर्बीट्रेशन (I.C.A.) एवं फेडेरशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रो (जैसे कर विशेषज्ञ, कंपनी सेक्रेटरी, अधिवक्तागण व् कानून विभाग से जुड़े अन्य) के पेशेवर व्यक्ति व् कानपुर के व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, आदि उपस्थित थे।